संख्या-105/2018/4257/सैंतीस-2-2018-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

डा0 प्रहलाद बरनवाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-19 दिसम्बर, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-103/2018/3926/सैंतीस-2-2018-1(2)/2013टीसी, दिनांक-17.12.2018 द्वारा कुल रू0-60.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश दो स्थलों पर स्वीकृत धनराशि शब्दों में "(रूपये साठ लाख बयालिस हजार मात्र)" के स्थान पर "(रूपये साठ करोड़ बयालिस लाख मात्र)" अंकित हो गयी है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दिनांक-17.12.2018 में दो स्थलों पर त्रुटिवश अंकित "(रूपये साठ करोड़ बयालिस लाख मात्र)" के स्थान पर स्वीकृत धनराशि शब्दों में "(रूपये साठ लाख बयालिस हजार मात्र)" पढ़ी जाये।

2- शासनादेश दिनांक-17.12.2018 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

पृ0सं0-105/2018/4257(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in